न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : जयवीर सिंह R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 83/2017 दायर तारीख : 09.10.2017

बद्री प्रसाद पुत्र लक्ष्मण जाति अहीर निवासी डावला की ढाणी तन गैड तहसील विराटनगर, जिला जयपुर। --- वादी/अप्रार्थी

बनाम

1. जगदीश
2. रामनिवास — पुत्रान लक्ष्मण
3. बंशीधर
4. मूलचन्द
5. ओमकार पुत्र प्रभात
6. संज्या देवी पत्नि भगवानसहाय
7. ग्यारसी देवी पत्नि भगवान सहाय
8. लीलाराम
9. भंवरलाल — पुत्रान भगवानसहाय
10. गोपाल
11. रामजीलाल
12. मोटा
13. सन्तरा — पुत्रियान भगवानसहाय
14. केशरी बाई

समस्त जाति अहीर निवासी डावला की ढाणी तन गैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

15. उप पंजीयक कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर
16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

-- प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित : श्री चिरंजीलाल, अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी
श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी सं॰ 1 लगा॰ 5

निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

निर्णय दिनांक 21/12/2018

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:39:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

1. इस आदेश द्वारा प्रतिवादी/प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निर्णय किया जा रहा है।
2. प्रतिवादी/प्रार्थीगण प्रस्तुत वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मैड के हाल खसरा नम्बर 2477/0.02, 2478/0.19, 2479/0.02 हैक्टेयर के संबंध में वादी/अप्रार्थी ने पूर्व में दिनांक 24.06.2015 को एक वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जो दिनांक 17.12.2015 को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हुआ है। वादी ने पूर्व वाद मुकदमा नम्बर 66/2015 उनवानी बद्रीप्रसाद बनाम जगदीश प्रसाद वगैरह को पुनः चालू करवाने की आदिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि न्यायालय श्रीमान को गुमराह करते हुए पूर्व वाद व उसके तथ्यों को छुपाते हुए नया वाद पेश किया है, जो रेसज्यूडिगेटा की तारीफ में आन से विधि द्वारा वर्जित होकर खारिज किये जाने योग्य है। निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुसार जब कोई वाद उसी आराजी व उन्हीं पक्षकारों के मध्य किसी भी न्यायालय में एकबार पेश कर दिया गया है, तो फिर उसी आराजी व उन्हीं पक्षकारों के मध्य उसी न्यायालय में पुनः नया वाद पेश नहीं किया जा सकता है, यह तथ्य सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के अन्तर्गत आता है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी/अप्रार्थी का उक्त वाद बिना पूर्ववाद के पूर्णरूप से निर्णीत हुए बिना जो नया वाद पेश किया है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 तथा आदेश 7 नियम 11 (घ) सपठित धारा 151 की तारीफ में आने से इसी स्टेज पर खारिज फरमाए जाने के आदेश प्रदान करें।
3. वादी/अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि धारा 11 सीपीसी में प्रतिपादित सिद्धान्त रेसज्युडिगेटा के तहत पूर्ववर्ती वाद का तनकीयात कायम कर बाद साक्ष्य न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती विवाद्यक का गुणावगुण पर अन्तिम रूप से विनिश्चय किया जाना आवश्यक है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पूर्ववर्ती वाद का अन्तिम रूप से विनिश्चय नहीं किया गया है, जिसके कारण रेस–ज्यूडिगेटा का सिद्धान्त प्रस्तुत वाद पत्र लागू नहीं होता है। पूर्व वाद तकनीकी आधार पर खारिज किया गया था तथा प्रस्तुत प्रकरण में पूर्ववर्ती वाद के समान पक्षकार नहीं है, न ही पूर्ववर्ती वाद का अन्तिम रूप से विनिश्चय किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे।
4. बहस अधिवक्ता वकुलाय सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:39:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वादी/प्रार्थी अधिवक्ता का तर्क रहा कि वादी द्वारा पूर्व में भी वाद संख्या 66/2015 पेश किया था, जिसमें पक्षकार, विवाद्यक एवं चाहा गया अनुतोष समान था। उक्त वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में वादी द्वारा जानबूझकर खारिज करवाया था, क्योंकि उस वाद में प्रतिवादी/प्रार्थीगण की तरफ से अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं अस्थायी निषेधाज्ञा वादी के विरूद्ध प्रभावी थी, जिससे वाद खारिज होने से प्रार्थना पत्र स्वतः खारिज हो गया। वादी द्वारा अपने वाद में पूर्व में खारिज वाद का कोई उल्लेख नहीं किया गया है एवं वादी द्वारा नया वाद पेश किया गया है जो पूर्व न्याय के सिद्धान्त से बाधित है। वादी/अप्रार्थी की तरफ से प्रस्तुत किए गए न्यायिक दृष्टांत भी इस मामले पर लागू नहीं होते है, क्योंकि दोनों के तथ्य भिन्न है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का तर्क रहा कि पूर्व वाद गुणावगुण के आधार पर निर्णित नहीं हुआ था। अतः आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते एवं वादा पूर्व न्याय के सिद्धान्तों से बाधित नहीं है। पूर्व वाद की जानकारी वादी को नहीं हो सकी। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांक के रूप में 2016–17 RRT 489 भंवर सिंह बनाम भगवान सिंह व अन्य पेश किया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों, का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया वस्तुतः वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद एवं हस्तगत वाद में पक्षकार, विवाद्यक एवं चाहा गया अनुतोष समान है। अतः पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू होता है। वादी ने अपने नये वाद में पूर्व में प्रस्तुत वाद का उल्लेख भी नहीं किया है, जिससे यह साबित होता है कि वादी Clean hand से नहीं आया है एवं न्यायालय से तथ्य छुपाए गए है। वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते है। अतः दावा Res Judicata से बाधित होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी का हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर हस्तगत वादपत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 21/12/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:39:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– जयवीर सिंह आर.ए.एस.

बद्री प्रसाद पुत्र लक्ष्मण जाति अहीर निवासी डावला की ढाणी तन गैड तहसील विराटनगर, जिला जयपुर। —— वादी/अप्रार्थी

बनाम

1. जगदीश
2. रामनिवास
3. बंशीधर
4. मूलचन्द

पुत्रान लक्ष्मण

5. ओमकार पुत्र प्रभात
6. संज्या देवी पत्नि भगवानसहाय
7. ग्यारसी देवी पत्नि भगवान सहाय

8. लीलाराम
9. भंवरलाल
10. गोपाल
11. रामजीलाल

पुत्रान भगवानसहाय

12. मोटा
13. सन्तरा
14. केशरी बाई

पुत्रियान भगवानसहाय

समस्त जाति अहीर निवासी डावला की ढाणी तन गैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

15. उप पंजीयक कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर
16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

1. मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या 83/2017 दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू श्री चिरंजीलाल एडवोकेट व हाजरी .....मिन जानिब मुददई रूबरू श्री गोपाल टांक एडवोकेट कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश हुए। सुना गया। हस्तगत वाद के संबंध में प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया है। वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद एवं हस्तगत वाद में पक्षकार, विवाद्यक एवं चाहा गया अनुतोष समान है। अतः पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू होता है। वादी ने अपने नये वाद में पूर्व में प्रस्तुत वाद का उल्लेख भी नहीं किया है, जिससे यह साबित होता है कि

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:39:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वादी Clean hand से नहीं आया है एवं न्यायालय से तथ्य छुपाए गए है। अतः हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी का हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर हस्तगत वादपत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 21/12/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयवीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुबलिक .....शून्य..... बावत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सादी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.12.2018 को जारी की गई।

(जयवीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुददई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

(जयवीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:39:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner